न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 58/2021/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 10.11.2021
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मांगीलाल आत्मज असगर जाति मुसलमान निवासी ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद, जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद, जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 08.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण सं0 02/2016/(प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण) बउनवान राजस्थान सरकार बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2016 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दीगोद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 की धारा 14(4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत पेश किया गया कि आवंटी मांगीलाल पुत्र असगर जाति मुसलमान निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद को दिनांक 26.06.1989 को ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद की आराजी खसरा सं0 735 रकबा 0.32 है0 आवंटन हुई थी। उक्त भूमि पर उक्त आवंटी को दिनांक 26.08.1989 को कब्जा सुपुर्द/दखल दिया गया था। आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा प्रकरण में आवंटी मांगीलाल/अप्रार्थी के बावजूद सूचना नोटिस उपस्थित नहीं होने पर आवंटी का

8/5/2025
अति. संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तों की पालना का उल्लंघन होना मानते हुए उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 07.10.2016 से आवंटी मांगीलाल पुत्र असगर जाति मुसलमान निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद को दिनांक 26.06.1989 को ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद की आराजी खसरा सं0 735 रकबा 0.32 है0 का किया गया आवंटन निरस्त किया जाने का निर्णय पारित किया गया।

2. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 07.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय, एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। आवंटी आवंटन शर्तों की नियमित रूप से पालना करता आ रहा है। किंतु फिर भी रेस्पो0 द्वारा कानूनी रूप से 3 वर्ष में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होने के बावजूद भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही 26 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित है। अपीलार्थी के द्वारा आवंटनशुदा आराजी को उपजाऊ बनाया है तथा काबिज होकर परिवार व स्वयं का पालन पोषण करता चला आ रहा है। किंतु फिर भी आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का निरंतर कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलार्थी की और कोई राशि आदि बकाया नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आवंटन निरस्त किया गया है जबकि आवंटी आवंटन शर्तों की नियमित रूप से पालना करता आ रहा है। रेस्पो0 के द्वारा कानूनी रूप से 3 वर्ष में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होने के बावजूद भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर

8/5/2025
अति. संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही 26 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.10.2016 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण पेश किये।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया गया।

6. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/साक्ष्य पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि तहसीलदार दीगोद के द्वारा प्रस्तुत अपीलार्थी/आवंटी के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 की धारा 14(4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा प्रकरण में आवंटी मांगीलाल/अप्रार्थी के बावजूद सूचना नोटिस उपस्थित नहीं होने पर आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तों की पालना का उल्लंघन होना मानते हुए निर्णय दिनांक 07.10.2016 से आवंटी मांगीलाल पुत्र असगर जाति मुसलमान निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद को दिनांक 26.06.1989 को ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद की आराजी खसरा सं0 735 रकबा 0.32 है0 का किया गया आवंटन निरस्त किया जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का न्यायालय हाजा में तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आवंटन निरस्त किया गया है जबकि आवंटी आवंटन शर्तों की नियमित रूप से पालना करता आ रहा है। रेस्पो0 के द्वारा कानूनी रूप से 3 वर्ष में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होने के बावजूद भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही 26 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित है।

8/5/2025
अति. संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि आवंटी को वर्ष 1989 में कब्जा सुपुर्द किया गया था। खातेदारी हेतु अनवरत कब्जा काश्त होना चाहिए, जिसका कोई साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया। केवल 1 वर्ष की खसरा गिरदावरी इस हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं मानी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। साथ ही ऐसा कोई साक्ष्य इस न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जिससे खातेदारी प्राप्त करने हेतु चाराजोही करना प्रकट होता हो अथवा अनवरत कब्जा काश्त प्रकट हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा का निर्णय दिनांक 07.10.2016 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

8/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा